

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

व.प्र.मु.अ.नि.प्र.
प्र.अ.प्र.वि.

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

कार्यालय-मु.क.प्र.अ.क.
आयसी संख्या... 574
दिनांक... 23-10-15
20.10.15
3/6/15

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक: 20 अक्टूबर, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजनागत मद अनुदान संख्या-05 के अर्न्तगत प्रशिक्षण केन्द्रों में अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढीकरण योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक 30प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-811/खा0ग्रा0बो0/प्रशिक्षण-सुदृढी0यो0/2015-16, दिनांक 07-10-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में 30प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रशिक्षण केन्द्रों में अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढीकरण योजना आयोजनागत मद हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 50,00,000.00 (रु0 पचास लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु0 25,00,000.00 (रूपये पचीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न फाट के अनुसार निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

21/03/15 (नि.प्र.अ.)

23.10.15
वरिष्ठ मु.क.प्र.अ.क. अधिकारी

597

23.10.15

- 2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृति धनराशि व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015, एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- व्यय की तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।
- 4- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर 369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम 30प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 में खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 एवं वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 5- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम 30प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को वित्तीय वर्ष में ही उपलब्ध कराया जायेगा।
- 6- उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एवं आडिटर जनरल या उनके मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

7- उक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष 2851- ग्राम तथा लघु उद्योग- आयोजनागत-105 - खादी ग्रामोद्योग- 06- प्रशिक्षण केन्द्रों में अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढीकरण -35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015, में निहित व्यवस्था के तहत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(मुकुल सिंहल)

प्रमुख सचिव।

संख्या-39/2015/186
(1)/59-2-2015-94(खा)/2012 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 इलाहाबाद।
- 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5-वित्त(व्ययनियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आयव्ययक) अनुभाग1/नियोजन अनुभाग4/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्तीय एवं लेखाधिकारी,, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, 30प्र0 लखनऊ।
- 8- एन0आई0सी0योजना भवन,लखनऊ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Mulay
0.10.15
(मुकुल सिंहल)

प्रमुख सचिव

५

शासनादेश संख्या- 39/2015न० 6 /59-2-2015-94(खा)/2012 दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 का संलग्नक

प्रशिक्षण केन्द्रों में अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढीकरण योजना हेतु वर्ष 2015-16 में प्रावधानित रू० 50.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू० 25.00 लाख की वित्तीय स्वीकृत हेतु प्रशिक्षण केन्द्रवार धनराशि का फाट:-

क्र०सं०	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	धनराशि लाख रू० में
1.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, डालीगंज, लखनऊ।	1.75
2.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, गोरखपुर	2.40
3.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, बहराइच	3.25
4.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	4.625
5.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, आजमगढ़.	0.00
6.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, रतनपुरा मऊ	3.125
7.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, कालपी जालौन	1.55
8.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, शाहजहाँपुर	4.225
9.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, अडिग मथुरा	0.00
10.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, नजीबाबाद बिजनौर	4.075
	योग	25.00

(रूपये पचीस लाख मात्र)

Mukul
20.10.15
(मुकुल सिंहल)
प्रमुख सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।